विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

Letter No.- 81

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/19
दिनांक 23.02.2026

30/03/2026

आवेदक

प्रशासनिक अधिकारी
नगर पालिका निगम, भिलाई
बी.पी. नं. **1002241646**, मो नं. **9406180980**

विरूद्ध

अनावेदकगण

1. कार्यपालन अभियंता (शहर) पश्चिम संभाग
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई
2. सहायक अभियंता वैशालीनगर जोन
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई

विषय :– उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन हेतु स्थापित मीटर के रीडिंग में विसंगति के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 30.03.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

नगर निगम भिलाई द्वारा गैर घरेलु प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. नं. 1002241646 में मीटर रीडिंग विसंगति के संबंध में अवगत कराया गया है, जिसके कारण उपभोक्ता को गलत बिल जारी होता रहा। उपभोक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कनेक्शन के विरूद्ध स्वीकृत भार भी नही बढ़ाया गया जिसके कारण उपभोक्ता को अधिक मांग के विरूद्ध पेनाल्टी बिलिंग भी जारी रहा। उक्त संबंध में आनलाइन आवेदन दिनांक 20.02.26 को सी.जी.आर.एफ. रायपुर में दर्ज किया गया जो कि सी.जी. आर.एफ. रायपुर के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण दुर्ग को स्थानांतरित

किया गया। सी.जी.आर.एफ. दुर्ग में उक्त आवेदन को प्रकरण कमांक 19 दिनांक 23.02.2026 के अंतर्गत दर्ज करते हुए सुनवाई आरंभ की गई।

2. आवेदक द्वारा प्रथम सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन

दिनांक 03.03.2026 को प्रथम सुनवाई के दौरान आवेदक नगर निगम भिलाई की ओर से श्री अजित तिग्गा अधीक्षण यंत्री, श्री वेषराम सिन्हा कार्यपालन यंत्री एवं श्री पलास वैद्य सब इंजिनियर नगर निगम भिलाई उपस्थित हुए एवं श्री नवीन राठी कार्यपालन अभियंता नगर पश्चिम संभाग भिलाई उपस्थित हुए।

आवेदक गण द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम भिलाई के अंतर्गत गैर घरेलु प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. कमांक 1002241646 स्वीकृत भार 6 कि.वा. माह मार्च–23 से जुलाई–25 तक (अगस्त–25 को उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया) की गयी बिलिंग में अधिकतम मांग 6 कि.वा. से ज्यादा दर्ज होते रहा एवं प्रचलित टेरिफ आदेश के तहत् उक्त बढ़े हुए मांग के अनुसार स्वीकृत भार में स्वतः निर्धारण न होने के कारण आवेदक को हर महिने अधिकतम मांग के अनुसार पेनाल्टी बिलिंग होता रहा। अतः आवेदक गण द्वारा फोरम दुर्ग के समक्ष उक्त प्रकरण का निराकरण करते हुए सही बिल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया है।

फोरम दुर्ग द्वारा अनावेदक गण कार्यपालन अभियंता (नगर पश्चिम) संभाग भिलाई को प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं बिलिंग गणना पत्रक सहित अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. अनावेदक के द्वारा द्वितीय सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन

दिनांक 11.03.2026 को उक्त प्रकरण के द्वितीय सुनवाई के दौरान अनावेदक श्रीमती सीमा बघेल सहायक अभियंता वैशालीनगर जोन छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:–

1) नगर निगम भिलाई एकता चौक कैलाश नगर में स्थित कार्यालय भवन में विद्युत प्रदान करने हेतु गैर घरेलु विद्युत कनेक्शन बी.पी. कमांक 1002241646 स्थापित है जिसका स्वीकृत भार 6 कि.वा. है। एवं उक्त कनेक्शन के बिलिंग हेतु गैर घरेलु प्रायोजन 2.2(a) के अनुसार निर्धारित दर लागु है एवं उपभोक्ता द्वारा

उक्त कनेक्शन के स्वीकृत भार में वृद्धि हेतु आवेदन दिये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

2) उक्त संबंध में सहायक यंत्री द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर गणना पत्रक का अवलोकन करने पर उपरोक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर माह अगस्त–2025 से स्थापित किया जाना पाया गया।

3) गणना पत्रक का परीक्षण करने पर नवम्बर–23 से विभिन्न महिनों में अधिकतम भार 10 कि.वा. से 19 कि.वा. के बीच में पाया गया जबकि उपभोक्ता का स्वीकृत भार 6 कि.वा. निर्धारित था एवं उक्त अधिकतम मांग के अनुसार उपभोक्ता को निरंतर पेनाल्टी बिल जारी होता रहा जो कि प्रचलित टेरिफ आदेशों के प्रावधानानुसार नही पाया गया। अतः कार्यपालन यंत्री नगर संभाग पश्चिम भिलाई एवं सहायक यंत्री वैशालीनगर जोन को उक्त संबंध में अगली सुनवाई के दौरान अपना कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

4) दिनांक 19.03.26 को हुई तृतीय सुनवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री नगर संभाग पश्चिम भिलाई एवं सहायक यंत्री वैशालीनगर जोन द्वारा अपना कथन प्रस्तुत किया गया।

4. फोरम द्वारा परीक्षण एवं विश्लेषण

उक्त प्रकरण के संबंध में फोरम के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैः–

(अ) क्या उपभोक्ता के कनेक्शन के विरूद्ध स्वीकृत भार का अधिकतम मांग के अनुसार पुनर्निर्धारण विद्युत आचार संहिता के प्रावधानों एवं प्रचलित टेरिफ आदेशों के अनुरूप था?

उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण एवं विश्लेषण करने से पूर्व विद्युत आचार संहिता– 2011 के अंतर्गत उक्त प्रकरण से संबंधित प्रावधानों का अवलोकन किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

"11.27 The cases related to enhancement of load / exceeding the contact demand by the consumer shall be dealt as per the provision of relevant tariff order"

1. वित वर्ष 2021–22 हेतु जारी टेरिफ आदेश में निम्नदाब उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार के स्वतः निर्धारण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार यदि उपभोक्ता के मीटर में दर्ज मांग लगातार तीन महिनों तक स्वीकृत भार से अधिक दर्ज होता है तो अधिकतम मांग स्वतः ही स्वीकृत भार के रूप में पुनर्स्थापित हो जायेगा। दिनांक 02.08.21 को जारी टेरिफ आदेश का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार हैः–

"For all LV categories for whom Fixed Charges are applicable on the basis of Connected Load, if the Recorded Demand exceeds the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Connected Load, the load enhancement charges shall be applicable; however, the Security Deposit shall not be required to be increased correspondingly. Also, if the Recorded Demand is lower than the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load can be restated to the highest demand recorded in these three months at the option of the consumer."

उपरोक्त प्रावधान वर्ष 2021–22 के लिए जारी टेरिफ आदेश में शामिल किया गया था एवं वर्ष 2021–22 के बाद भी जारी सभी टेरिफ आदेशों के अनुसार अभी भी लागू है।

(अ) उक्त प्रकरण के संबंध में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत कथन एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों का परीक्षण व विश्लेषण करने पर निम्नानुसार तथ्य प्राप्त हुए:–

1) सहायक यंत्री द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर डायरी का अवलोकन करने पर मीटर रीडिंग एवं अधिकतम मांग के दर्ज करने के संबंध में विसंगतियां पायी गयी जो निम्नानुसार है:–

   a. नव–23, दिस–23, जन–24 में क्रमशः अधिकतम मांग 10.11 कि.वा., 18.28 कि.वा., 11.02 कि.वा. दर्ज किया गया है। अतः उपभोक्ता के स्वीकृत भार उक्त अधिकतम मांग के अनुसार स्वतः निर्धारित हो जाना था।

माननीय नियामक आयोग द्वारा स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 57/2024 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 16.08.24 के अनुसार –

"3. In the tariff order for FY 2021–2022, the Commission has for the first time included provisions pertaining to the automatic revision of sanctioned load of LV consumers if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. Relevant para 30(f) of this tariff order dated 02.08.2021 is reproduced below; "For all LV categories for whom Fixed Charges are applicable on the basis of Connected Load, if the Recorded Demand exceeds the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Connected Load, the load enhancement charges shall be applicable; however, the Security Deposit shall not be required to be increased

correspondingly. Also, if the Recorded Demand is lower than the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load can be restated to the highest demand recorded in these three months at the option of the consumer." 4. Furthermore, in the notes of para 12.1.1, 12.1.2 and 12.1.6 of the tariff order FY 2021-22, it is specifically mentioned as under: "If the Recorded Demand exceeds the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Connected Load, the load enhancement Page 3 of 5 charges shall be applicable; however, the Security Deposit shall not be required to be increased correspondingly. If the Recorded Demand is lower than the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load can be restated to the highest demand recorded in these three months at the option of the consumer." 5. In order to effectively execute the conditions of automatic revision of sanctioned load of LV consumers mentioned in the tariff order dated 02.08.2021, the Commission issued appropriate clarifications through order dated 13.08.2021 in Suo-motu Petition no. 38 of 2021. Relevant para of the Order is reproduced below; "II. In order to avoid multiplicity in general provisions applicable to other LV categories i.e. LV2, LV3, LV4, LV5 & LV7, Para No. (iii) and (iv) of 1.1.11(1) shall have no relevance. III. Considering difficulty in billing of excess supply provision at Para No. 1.1.11(2)(iii) shall have no relevance." 6. Further, in the tariff order dated 13.04.2022 for the FY 2022-23, the Commission preferred to replace the term "Connected Load" with "Sanctioned Load" for the purpose of clarity in the tariff schedule of LV category consumers. Following that, the Commission issued corrigendum order dated 28.04.2022 for tariff order of FY 2022-23 on similar line as it was issued for the FY 2021-22. Relevant paras of the corrigendum order dated 28.04.2022 for FY 2022-23, are as under: "8. Sub-sub para (iii) and (iv) of sub-para (1) of para 1.1.11 of the Tariff Schedule for FY 2022-23 shall be deleted; 9. Sub-sub para (iii) of sub-para (2) of para 1.1.11 of the Tariff Schedule for FY 2022-23 shall be deleted;" Page 4 of 5 7. The aforementioned provisions stipulated in para 3 of this instant order, makes it clear that the Commission made the cautious decision to exclude all demand-based LV tariff consumers from the automatic adjustment provisions of the sanctioned load, if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. Also, the harmonious reading of the provisions stated in para 3, 4, 5 and 6 of this instant order further clearly indicates that only the connected load-based (sanctioned load-based) LV-1, LV-2 and LV-6 tariff category consumers are covered under automatic adjustment provisions of the sanctioned load if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. Alternatively, it can be stated that only LV-1, LV-2.1 and LV-6

tariff category consumer, which are specifically mentioned, are covered under automatic adjustment provisions of the sanctioned load if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. 8. However, the tariff order for FY 2023-24 and FY 2024-25 did not reflect the Commission's intended objective. The CSPDCL also did not highlight this disparity in tariff order for FY 2023–24 earlier. It has been brought in the knowledge of the Commission by the CSPDCL vide its letter dated 08.08.2024. In the light of the above, in order to remove difficulty in implementation of tariff order for FY 2023-24 and FY 2024-25: (a) Sub-sub para (iii) and (iv) of sub para (1) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2023-24 shall be deleted; (b) Sub-sub para (iii) of sub para (2) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2023- 24 shall be deleted; (c) Sub-sub para (iii) and (iv) of sub para (1) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2024-25 shall be deleted; Page 5 of 5 (d) Sub-sub para (iii) of sub para (2) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2024- 25 shall be deleted; (e) Words (LV-2.2 /LV-4.2/LV-5) wherever appearing in sub-para (i) of para 11.1.11 (2) of tariff order for FY 2023-24 shall be read as (LV2.2 /LV-4.2/LV-5/LV-7). (f) Words (LV-2.2 /LV-4.2/LV-5) wherever appearing in sub-para (i) of para 11.1.11 (2) of tariff order for FY 2024-25 shall be read as (LV2.2 /LV-4.2/LV-5/LV-7)."

अतः माननीय नियामक आयोग द्वारा उक्त स्वप्रेरित याचिका पर जारी आदेश के अनुसार उपभोक्ता के लिए स्थापित गैर घरेलू प्रायोजन यदि मांग आधारित टेरिफ के अंतर्गत हो तो उसमें उपभोक्ता के अधिकतम मांग के अनुसार स्वतः स्वीकृत भार का निर्धारण का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है।

5. निष्कर्ष

उपरोक्तानुसार फोरम का निष्कर्ष निम्नानुसार है:–

1. उपभोक्ता के कार्यालय भवन में विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु स्थापित गैर घरेलु प्रायोजन कनेक्शन निम्नदाब 2.2 (a) के अंतर्गत मांग आधारित टेरिफ श्रेणी के अनुरूप निर्धारित है। अतः प्रचलित टेरिफ के अनुसार यदि उपभोक्ता का अधिकतम मांग लगातार 3 महिने तक स्वीकृत भार से अधिक रहने पर उक्त अधिकतम मांग के अनुसार उपभोक्ता का स्वीकृत भार का स्वनिर्धारण का प्रावधान इस प्रकरण में लागु नही होगा। अतः अनावेदक गण द्वारा उपभोक्ता को की जा रही बिलिंग सही पाया गया।

2. उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त गैर घरेलु प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के भार वृद्धि हेतु विद्युत आचार संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन करने पर उक्त कनेक्शन की भार वृद्धि किया जाना उचित होगा।

6. आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं परीक्षण के आधार पर फोरम द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:–

1. उपभोक्ता के गैर घरेलु प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन का बिलिंग नियामक आयोग द्वारा जारी टेरिफ आदेशों में किये गये संशोधन एवं संबंधित स्वप्रेरित याचिका के अनुसार सही है।
2. उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त गैर घरेलु प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के भार वृद्धि हेतु विद्युत आचार संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन करने पर अनावेदक गण द्वारा नियमानुसार भार वृद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।
3. उपभोक्ता को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कनेक्शन के विरूद्ध लंबित देयकों का का तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।
5. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।
6. उपरोक्त आदेश का परिपालन पूर्ण कर प्रतिवादी को 15 दिन के भीतर फोरम कार्यालय को लिखित में सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
7. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग